भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4447
दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

दिल्ली एम्स का अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान एवं सेवाप्रदाता संस्थान के रूप में कायाकल्प

4447. **श्री संजय उत्तमराव देशमुख:**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने एम्स, नई दिल्ली को चिकित्सा अनुसंधान एवं सेवाप्रदाता संस्थान के एक प्रमुख संस्थान के रूप में बदलने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यापक रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट को व्यापक हितधारक परामर्श के लिए सार्वजनिक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस नीति आयोग पैनल की सिफारिशें देश भर में स्थापित किए जा रहे नए एम्स संस्थानों के नेटवर्क की चुनौतियों का समाधान करती है और अवसर भी प्रदान करती हैं और यदि नहीं, तो उनके लिए क्या किसी अलग योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या उपरोक्त पैनल मुख्य परिसर में रोगियों की संख्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एम्स दिल्ली की सेवाओं का विकेंद्रीकरण करने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो उक्त विस्तार के लिए किन विशिष्ट उपग्रह केंद्रों या सुविधाओं की पहचान की जा रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (च) एम्स, नई दिल्ली को चिकित्सा अनुसंधान एवं सेवा प्रदाता के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान में परिवर्तित करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अधिदेश एम्स की मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन जाँच करना और महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करना है। समिति के विचारार्थ विषयों में रोगियों की भारी तादाद को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की पहचान करना, इष्टतम नैदानिक, अकादमिक और अनुसंधान परिणाम सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को विकसित करना, शासन और पारदर्शिता को बढ़ाना, और एम्स, नई दिल्ली के प्रबंधन में विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना शामिल है।

*****